न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2025/168

सिविल प्रकरण संख्याः– 37/2025 तारीख रजू 11.07.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. अर्जुन जाट पुत्र श्री हरदेव जाट (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स श्री मातेश्वरी एन्टरप्राईजेज राधिका आईसक्रीम, जीनापुर, कोटा रोड, सवाई माधोपुर 322001 निवासीः– 8, जाटों का मोहल्ला, ईरास, भीलवाडा, राजस्थान 311024

.........अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii), 2(iv)/51&54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 24.12.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार अन्तर्गत दिनांक 02.05.2025 को 01.30 पी.एम. पर मैसर्स श्री मातेश्वरी एन्टरप्राईजेज राधिका आईसक्रीम जीनापुर, कोटा रोड, सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम अर्जुन जाट पुत्र श्री हरदेव जाट होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया जो वर्ष 2026 तक के लिए मान्य था। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि एक कोल्ड स्टोरेज में 20 किलोग्राम की 9 टंकियों में आईसक्रीम (शाही गुलाब) आमजन को विक्रय हेतु रखी हुई थी। उक्त आईसक्रीम में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 1200ग्राम खरीदकर उसकी कीमत 120/– रूपये विक्रेता अर्जुन जाट को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान सोहन लाल मीना एवं वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे अर्जुन जाट ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति अर्जुन जाट को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1200 ग्राम Ice Cream (Shahi Gulab) को हिला मिलाकर एकरूप कर खाली स्टील के बर्तन में तुलवाकर [...] विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Ice Cream (Shahi Gulab)** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाल कर 36–36 बूंदे फॉर्मेलीन की डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-3735** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-3735 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया था। एक नमूना मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।

आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/889 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2190/एक्ट/2025/2561 दिनांक 10.06.2025 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Ice Cream (Shahi Gulab), Sub Standard & Containing Extaneous Matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act, 2006** होना पाया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/954 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-Standard, Ice Cream (Shahi Gulab)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त ने प्रकरण में जबाव पेश किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने **Sub-Standard, Ice Cream (Shahi Gulab)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने पेश किये गये जबाव को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थी की दुकान मैसर्स मातेश्वरी एन्टरप्राईजेज राधिका आईसक्रीम जीनापुर से दिनांक 02.05.2025 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आईसक्रीम (शाही गुलाब) का जांच हेतु नमूना लिया जो लेब की जांच रिपोर्ट अनुसार फेट की मात्रा कम होने के कारण सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी आईसक्रीम बनाने में सरस दूध का उपयोग करता है। प्रार्थी को खाद्य अधिनियम के मानको का पता नहीं था। प्रार्थी अपनी गलती मानते है एवं भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2190/एक्ट/2025/2561 दिनांक 10.06.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** **Ice Cream (Shahi Gulab)** सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट अनुसार **Ice Cream (Shahi Gulab)** में Total Fat results 4.83% insteads of 10.0% Minimum & , B.R.Reading at 40.0^{0}C of extracted fat results 44.6 which should be 40.0 to 44.0 (Milk fat) आई है जोकि The value obtained under parameter Butyro Refractometer reading at 40.0^0 C of extracted fat indicates that the Milk Fat of the Product has been partially substituted by foreign fat पाये जाने के कारण सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** **Ice Cream (Shahi Gulab)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 15,000/-रू0 (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त दण्डित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner